# न्यायालय कलेक्टर सागर जिला सागर

प्रकरण क. 28 अ/19(3) वर्ष 17–18
ग्राम हरदुवानी प.ह.नं. 47
तहसील बण्डा जिला सागर (म.प्र.)

कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग कमांक–1 सागर,
तहसील व जिला सागर (म0प्र0) ..........................................आवेदक

विरूद्ध

म.प्र.शासन ..........................................अनावेदक

:: आदेश ::

(पारित दिनांक 28/09/2018)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग कमांक–1 सागर, तहसील व जिला सागर (म0प्र0) ने पत्र कमांक–1679/कार्य/2018–19 सागर दिनांक 22.05.18 में लेख किया गया कि न्यायालय कलेक्टर सागर के प्रकरण कमांक–6 अ/19(4) वर्ष 2005–06 में पारित आदेश दिनांक 10.02.2006 के द्वारा सागर जिले की सिंचाई परियोजना खजरा जलाशय, मंजला जलाशय एवं क्वायला जलाशय की डूब क्षेत्र में आने वाली वन भूमि के बदले ग्राम हरद्वानी तहसील बण्डा की शासकीय राजस्व भूमि 38.28 हे. वन विभाग को हस्तांतरित हुआ था। उक्त हस्तांतरित भूमि वन विभाग के नाम नामांतरित एवं उनके आधिपत्य में है। उक्त तीनों योजनाओं में से खजरा जलाशय योजना के वनभूमि प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के पत्र कमांक–6MPC036/2007-BHO/4410 दिनांक 03.12.2007 द्वारा एस.ए.जी. म.प्र. दिनांक 01.08.2007 की बैठक में विचारोपरान्त 2300 वृक्षों के पातन एवं मात्र 167 हे. सिंचाई के परिपेक्ष्य में परियोजना सुविचारित मान्य नहीं की गई। इस परिपेक्ष्य में तत्कालीन कार्यालय कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग कमांक–2 सागर के पत्र कमांक–1063/वन प्र./कार्य/08 सागर दिनांक 04.04.2008 द्वारा योजना की स्वीकृति को निरस्त करने का प्रस्ताव उच्चाधिकारियों को भेजा गया है। म.प्र.जल संसाधन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र कमांक–373/22/09/09 भोपाल दिनांक 02.06.2012 मे निहित निर्देशानुसार स.क. 16 पर दर्शित खजरा जलाशय योजना जिला सागर की स्वीकृति निरस्तीकरण हेतु जानकारी प्रपत्र 151 (संशोधित) में भरकर योजना वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा सुविचारित नहीं होने एवं लागत प्रति हे. अधिक होने के कारण निरस्तीकरण प्रस्ताव कार्यपालन जल संसाधन संभाग कमांक–1 सागर द्वारा प्रमुख अभियंता को भेजा जा चुका है। इस प्रकार खजरा जलाशय योजना का निर्माण नहीं किया जा सका है। इस योजना के डूब क्षेत्र में आ रही वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तांतरित ग्राम हरद्वानी की 14.26 हे. वनभूमि वन विभाग के आधिपत्य में है। जो अतिशेष श्रेणी में है। सागर जिले के सागर विकास खण्ड की बरौदा जलाशय योजना के वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवश्यक कुल गैर वन भूमि 21.06 हे. जिसमें से 10.08 हे. भूमि तहसील शाहगढ के ग्राम फुलवारी के खसरा नं. 01 में से न्यायालय कलेक्टर सागर के आदेश कमांक–21 अ/19(3) वर्ष 17–18 दिनांक 22.05.18 को आवंटित हो चुकी है। अतः इस योजना के वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवश्यक शेष 10.98 हे. राजस्व भूमि खजरा जलाशय हेतु आवंटित 14.26 हे. राजस्व भूमि (जो वन विभाग के पास अतिशेष है) में से समायोजित करने का अनुरोध किया गया है।

प्राप्त प्रस्ताव पर तहसीलदार बण्डा जिला सागर से प्रकरण तैयारं कराया गया। तहसीलदार बण्डा द्वारा प्रकरण कमांक–574 बी/121 वर्ष 17–18 ग्राम हरद्वानी में इश्तहार जारी कर आपत्तियां आमंत्रित की गई। इश्तहार पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुई। पटवारी से प्रतिवेदन लिया गया। ग्राम पंचायत का प्रस्ताव प्रस्ताव लिया गया। तहसीलदार बण्डा द्वारा ग्राम हरद्वानी प.ह.नं. 47 तहसील बण्डा जिला सागर स्थित भूमि ख.नं. 105, 107/1, 107/2, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 136, 137, 138, 353, 354 कुल रकवा 38.28 हे. में से रकवा 10.98 हे. भूमि पर खजरा जलाशय के स्थान पर बरोदा जलाशय योजना के वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु भूमि आवंटित किया जाना प्रस्तावित किया गया। जिसकी अनुशंसा अनुविभागीय अधिकारी बण्डा द्वारा की गई।

P.T.O

इस न्यायालय के प्रकरण कमांक–6 अ/19(4) वर्ष 2005–06 में पारित आदेश दिनांक 10.02.2006 द्वारा ग्राम हरद्वानी प.ह.नं. 47 तहसील बण्डा जिला सागर स्थित भूमि ख.नं. 105, 107/1, 107/2, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 136, 137, 138, 353, 354 कुल रकवा 38.28 हे. वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को आवंटित की गई थी। उसमें से रकवा 14.26 हे. भूमि का खजरा जलाशय योजना का प्रस्ताव सिंचाई के परिपेक्ष्य में परियोजना सुविचारित मान्य न होने से योजना की स्वीकृति को निरस्त करने का प्रस्ताव प्रस्तावित होने से एवं उक्त भूमि वन विभाग के आधिपत्य में होने एवं अतिशेष की श्रेणी में होने से उसके स्थान पर बरोदा जलाशय योजना के वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु निम्न विवरण अनुसार भूमि समायोजित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

अतः अनुविभागीय अधिकारी बण्डा एवं तहसीलदार बण्डा एवं वन मंडल अधिकारी उत्तर वन मंडल सागर की सहमति पर ग्राम हरद्वानी तहसील बण्डा की निम्नानुसार भूमि :–

| क्रं. | ग्राम का नाम | प.ह.नं. | ख.नं. | कुल रकवा (हे.में) | समायोजित रकवा (हे. में) | मद |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | हरद्वानी | 47 | 105, 107/1, 107/2, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 136, 137, 138, 353, 354 | 14.26 | 10.98 | शासकीय |

उक्त भूमि का समायोजन होने से ग्राम का आम निस्तार का रकवा अप्रभावित रहेगा। समायोजित भूमि का नियत प्रयोजन में उपयोग न होने पर पूर्ण अथवा आंशिक भूमि वापिस ली जा सकेगी।

(आलोक कुमार सिंह)
कलेक्टर
जिला–सागर

पृ.कं0/10783/री0कले0/18
सागर, दिनांक 23/07/2018

प्रतिलिपिः–

1– सचिव, म.प्र.शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
2– सचिव म.प्र.शासन वन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
3– अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन, विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
4– प्रधान मुख्य वन संरक्षक म.प्र. भोपाल
5– मुख्य वन संरक्षक वृत्त सागर जिला सागर
6– वन मंडल अधिकारी (स.) वन मंडल उत्तर सागर वन मंडल सागर
7– अनुविभागीय अधिकारी बण्डा जिला सागर
8– कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग कमांक–एक सागर
9– तहसीलदार बण्डा जिला सागर को मूल प्रकरण सहित प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेशानुसार अभिलेख दुरूस्ती एवं आवंटित भूमि का अधिपत्य संबंधित विभाग को दिलाये जाने उपरांत संशोधित अभिलेख खसरा नक्शा की प्रमाणित प्रति एवं अधिपत्य दिये जाने का पंचनामा प्रतिवेदन सहित प्रकरण इस न्यायालय को शीघ्र भेजे।

कलेक्टर
जिला–सागर

XXIII--P-II
Settl.

# P. II खसरा पाँच

| क्रमांक | क्षेत्रफल (और यदि भूमि खातों में सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन ) | कब्जेदार का नाम, उसके पिता का या पति का नाम तथा निवास-स्थान, अधिकार जिसके अन्तर्गत भूमि धारण की गई हो और देय राजस्व का लगान | किसी भूमि स्वामी या पट्टेदार का या किसी मौरूसी काश्तकार के उप-पट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान या पट्टे की रकम और उप-पट्टे पर दिये गये भाग का क्षेत्रफल | खाते की भूमि: क्षेत्र जिसमें वर्ष के दौरान में फसल उगाई गई — फसल का नाम | क्षेत्रफल | दुफसली क्षेत्रफल | पड़ती का क्षेत्रफल — चालू वर्ष की पड़ती | 2 से 5 वर्ष तक की पड़ती | अन्य पड़ती अर्थात् 5 वर्ष से अधिक | खाते के बाहर के क्षेत्रों में बोई गई फसल का नाम तथा क्षेत्रफल | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| १०५ | २.८४ वन विभाग म०प्र० | म०प्र०शासन | | — | | — | — | — | — | | श्रीमान कलेक्टर महो० छिन्दवाड़ा के रा० प्र० क्र० ६ अ/१९(४) ०५/०६ आ०दि० १०/२/०६ के अनुसार वन विभाग को हस्तांतरित की गई |
| १०६/१ | १४.६६ वन विभाग | म०प्र०शासन | | — | — | — | — | — | — | — | देखो खे०नं० १०५ |
| १०६/२ | ३.०० वन विभाग | म०प्र०शासन | | — | — | — | — | — | — | — | देखो खे०नं० १०५ |
| १२८ | १.११ वन विभाग | म०प्र० शासन | | — | — | — | — | — | — | — | देखो खे०नं० १०५ |
| १२९ | ०.४१ वन विभाग | म०प्र०शासन | | — | — | — | — | — | — | — | देखो खे०नं० १०५ |
| १३० | ३.२६ वन विभाग म०प्र० | म०प्र० शासन | | — | — | — | — | — | — | — | देखो खे०नं० १०५ |
| १३१ | ०.४२ वन विभाग | म०प्र०शासन | | — | — | — | — | — | — | — | देखो खे०नं० १०५ |

प्रमाणित प्रतिलिपि [illegible] २४/६/०६

| क्रमांक | क्षेत्रफल (और यदि भूमि खातों में सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन) | कब्जेदार का नाम, उसके पिता का या पति का नाम तथा निवास-स्थान, अधिकार जिसके अन्तर्गत भूमि धारण की गई हो और देय राजस्व का लगान | किसी भूमि स्वामी या पट्टेदार का या किसी मौरूसी काश्तकार के उप-पट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान या पट्टे की रकम और उप-पट्टे पर दिये गये भाग का क्षेत्रफल | खाते की भूमि — क्षेत्र जिसमें वर्ष के दौरान में फसल उगाई गई — फसल का नाम | क्षेत्रफल | दुफसली क्षेत्रफल | पड़ती का क्षेत्रफल — चालू वर्ष की पड़ती | 2 से 5 वर्ष तक की पड़ती | अन्य पड़ती अर्थात् 5 वर्ष से अधिक | खाते के बाहर के क्षेत्रों में बोई गई फसल का नाम तथा क्षेत्रफल | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ९३२ | ०.९९ वनविभाग | म०प्र०शासन | — | — | — | — | — | — | — | — | देखो खु० ख०नं० ९०५ |
| ९३३ | ०.८० वनविभाग | म०प्र०शासन | — | — | — | — | — | — | — | — | देखो खु० ख०नं० ९०५ |
| ९३४ | २.४० वनविभाग | म०प्र०शासन | — | — | — | — | — | — | — | — | देखो खु० ख०नं० ९०५ |
| ९३६ | ६.९० वनविभाग | म०प्र०शासन | — | — | — | — | — | — | — | — | देखो खु० ख०नं० ९०५ |
| ९३८ | ०.४५ वनविभाग | म०प्र०शासन | — | — | — | — | — | — | — | — | देखो खु० ख०नं० ९०५ |
| ३५३ | ०.८८ वन विभाग | म०प्र०शासन | — | — | — | — | — | — | — | — | देखो खु० ख०नं० ९०५ |
| ३५४ | ३.२३ वन विभाग | म०प्र०शासन | प्रतिलिपि ... ९.६.०६ | | | | | | | सिवा ९.०९ | [illegible] सिवा० ... नारायण प्रसाद ने वाद ... कृषि ... पूर्ण ... [illegible] देखो [illegible] |



उपरोक्त रकबा कुल मद्दे १४ कुल रकबा १८.८८ है०
राजस्व से वन विभाग को हस्तांतरित किया गया।
उपरोक्त भूमि के ख०नं० ३५४ का रकबा ... १.०० है० ... [illegible] है।

| क्रमांक | क्षेत्रफल (और यदि भूमि खातों में सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन) | कब्जेदार का नाम, उसके पिता का या पति का नाम तथा निवास-स्थान, अधिकार जिसके अन्तर्गत भूमि धारण की गई हो और देय राजस्व का लगान | किसी भूमि स्वामी या पट्टेदार का या किसी मौरूसी काश्तकार के उप-पट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान या पट्टे की रकम और उप-पट्टे पर दिये गये भाग का क्षेत्रफल | खाते की भूमि: क्षेत्र जिसमें वर्ष के दौरान में फसल उगाई गई: फसल का नाम | क्षेत्रफल | दुफसली क्षेत्रफल | पड़ती का क्षेत्रफल: चालू वर्ष की पड़ती | 2 से 5 वर्ष तक की पड़ती | अन्य पड़ती अर्थात् 5 वर्ष से अधिक | खातों के बाहर के क्षेत्रों में बोई गई फसल का नाम तथा क्षेत्रफल | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| १०५ | ३.८४ वनविभाग म०प्र० | म०प्र०शासन | | — | — | — | — | — | — | | श्रीमान् कलेक्टर महो० [illegible] के रा० प्र० क्र० ६ अ/१९(४) ०४/०६ आ० दि० १०/२/०६ के अनुसार वन विभाग को हस्तांतरित की गई |
| १०६/१ | १४.६६ वनविभाग | म०प्र०शासन | | — | — | — | — | — | — | | देखो कै० ख०न० १०५ |
| १०६/२ | २.०० वनविभाग | म०प्र०शासन | | — | — | — | — | — | — | | देखो कै० ख०न० १०५ |
| १२८ | १.११ वनविभाग | म०प्र० शासन | | — | — | — | — | — | — | — | देखो कै० ख०न० १०५ |
| १२९ | ०.४१ वनविभाग | म०प्र०शासन | | — | — | — | — | — | — | — | देखो कै० ख०न० १०५ |
| १३० | ८.२६ वन विभाग म०प्र० | म०प्र०शासन | | — | — | — | — | — | — | — | देखो कै० ख०न० १०५ |
| १३१ | ०.४२ वनविभाग | म०प्र०शासन | | — | — | — | — | — | — | | देखो कै० ख०न० १०५ |

प्रतिलिपि [illegible]
[illegible] २४/६/०६

शाक्षमुग्वा-480-फार्म्स-26-11-99-9,00,000.

# P. II खसरा पाँच

| क्रमांक | क्षेत्रफल (और यदि भूमि खातों में सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन ) | कब्जेदार का नाम, उसके पिता का या पति का नाम तथा निवास-स्थान, अधिकार जिसके अन्तर्गत भूमि धारण की गई हो और देय राजस्व का लगान | किसी भूमि स्वामी या पट्टेदार का या किसी मौरूसी काश्तकार के उप-पट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान या पट्टे की रकम और उप-पट्टे पर दिये गये भाग का क्षेत्रफल | खाते की भूमि: क्षेत्र जिसमें वर्ष के दौरान में फसल उगाई गई — फसल का नाम | क्षेत्रफल | दुफसली क्षेत्रफल | पड़ती का क्षेत्रफल — चालू वर्ष की पड़ती | 2 से 5 वर्ष तक की पड़ती | अन्य पड़ती अर्थात् 5 वर्ष से अधिक | खाते के बाहर के क्षेत्रों में यदि कोई फसल का नाम तथा क्षेत्रफल | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ९३२ | ०.९९ वनविभाग | म०प्र०शासन | — | — | — | — | — | — | — | — | दे०क्रो०कै० ख०नं० १०५ |
| ९३३ | ०.८० वनविभाग | म०प्र०शासन | — | — | — | — | — | — | — | — | दे०क्रो०कै० ख०नं० १०५ |
| ९३६ | २.४० वनविभाग | म०प्र०शासन | — | — | — | — | — | — | — | — | दे०क्रो०कै० ख०नं० १०५ |
| ९२६ | ६.९० वनविभाग | म०प्र०शासन | — | — | — | — | — | — | — | — | दे०क्रो०कै० ख०नं० १०५ |
| ९२८ | ०.४५ ~~[illegible]~~ वनविभाग | म०प्र०शासन | — | — | — | — | — | — | — | — | दे०क्रो०कै० ख०नं० १०५ |
| ३५३ | ०.४८ वनविभाग | म०प्र०शासन | — | — | — | — | — | — | — | — | दे०क्रो०कै० ख०नं० १०५ |
| ३५४ | ३.२२ वनविभाग | म०प्र०शासन | | | | | | | | सिंचित १.०९ | [illegible] ... [illegible] दे०क्रो०कै० [illegible] |

प्रतिलिपि [illegible] ... [illegible] ९ [illegible]



उपरोक्त खसरा कुल नंबर १४ कुल रकबा ३८.४८ हे०
राजस्व [illegible] विभाग को हस्तांतरित किया गया।
उपरोक्त ग्राम के ख०नं० ३५४ का रकबा [illegible] [illegible] यादव
१.०० हे० में [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] है। [illegible]

[illegible]

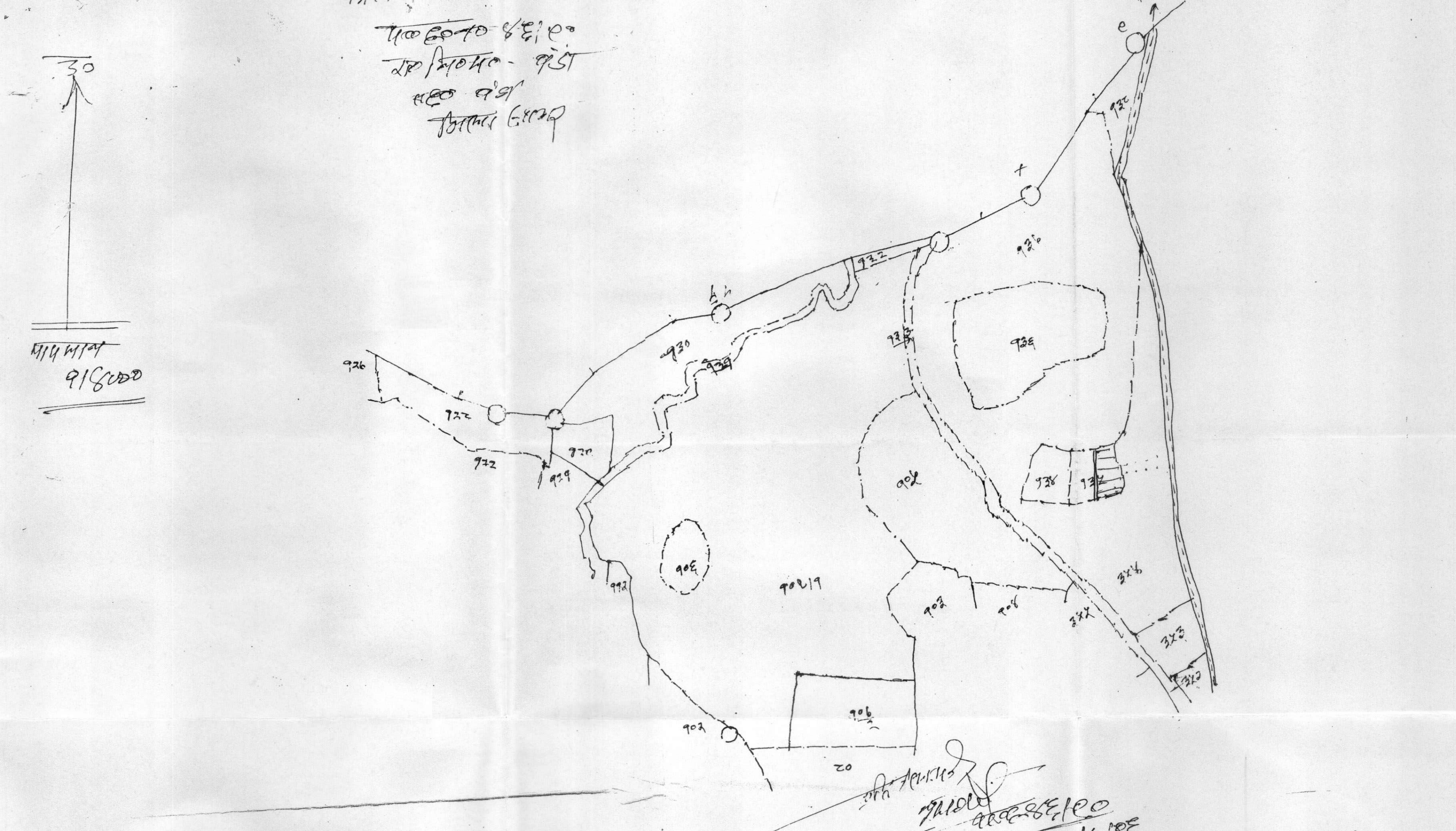

[illegible]

R.D.Bandy